न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना – कुचामन) राज.
पीठासीन अधिकारी :– गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस.

वादी :–
महेन्द्र विक्रमसिंह पुत्र सवाई सिंह
दत्तक पुत्र आनन्द कंवर पत्नी शेरसिंह
निवासी रूणीजा तह. परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. भवंर कंवर पुत्री सवाई सिंह
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र सवाई सिंह
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र सवाई सिंह
जाति राजपूत निवासी रूणिजा

दावा बाबत :– खातेदारी घोषणा।
उपस्थित :– श्री कल्याण सिंह अधिवक्ता, वादी
श्री ऋषि बोहरा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1 से 3

मुकदमां नम्बर :– 2022/25 निर्णय दिनांक :– 14.05.2024

निर्णय

1. वादी की ओर से प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्ये है। वाद के पैरा संख्या 1 में दिये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादी स्व. हरिसम के एवं पृथ्वीसिंह के वारिसान है। स्व. हरिसिंह की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ तब से ही स्व. सवाईसिंह 1/2 एवं शेरसिंह गोद पृथ्वीसिंह 1/2 हिस्सा विद्यमान था सम्पूर्ण भूमि में पक्षकरान का नाम इन्द्राज है जिसका कोई विवाद बिन्दू नहीं है। स्व. सवाईसिंह एवं स्व.शेरसिंह के जीवन काल में करीब 50 वर्ष पूर्व बंटवारे में खसरा नम्बर 529 रकबा 2.04 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि स्व. शेर सिंह को बंट में दी हुई थी जिस पर शेर सिंह जीवन पर्यन्त काश्त करते रहे है लेकिन 1/2 हिस्से में पृथ्वीसिंह का नाम इन्द्रजा था और 1/2 हिस्से में हरिसिंह का नाम इन्द्राज था। और 1/2 हिस्से में हरि सिंह का नाम इन्द्राज था पृथ्वी सिंह के नाम ईन्द्राज भूमि शेर सिंह उनके बाद आनन्द कंवर और आनन्द कंवर के बाद गोद पुत्र वादी के नाम इन्द्रजा हो गया लेकिन टिनेन्सी एक्ट 1955 से ही हरि सिंह व पृथ्वी सिंह के नाम इन्द्राज चला आ रहा रेकर्ड में हरि सिंह पुत्र नन्द सिंह का नाम चला आ रहा है। वर्णित खेत खसरा नम्बर529 रकबा 2.04 हैक्टयर भूमि अकेले पृथ्वी सिंह और कालान्तर में शेर सिंह के बंट में आयी हुयी है जिस पर गोद पुत्र होने से वादी विरासत के आधार पर काबिज काश्तकार है। प्रतिवादीगण सवाई सिंह के वारिशान जिनका उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है क्योंकि सवाई सिंह के बंट की भूमि प्रतिवादीगण के हक अन्तर्गत है यह भूमि मात्र शेरसिंह गोद पुत्र पृथ्वी सिंह के हक अन्तर्गत है।
2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 03.08.2022 को प्रतिवादी 1 व 2 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुऐ राजीनामा पेश किया जो बाद तस्तदीक शामिल मिसल किया गया। दिनांक 13.02.2024 को प्रतिवादी 3

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

ने वादी का वाद स्वीकार करते हुऐ राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी प्रकरण में राजहित निहित नहीं होने से जबाब पेश नहीं करना चाहे जाने पर जबाब बन्द किया गया। वकील वादी ने पक्षकारो में राजीनामा होने से साक्ष्य पेश नहीं करना चाहे जाने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई।

3. हमने वादी के विद्वान अभिभाषक की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि क सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

4. वादी ने वाद के साथ जबान्दी सम्वत 2074–2077 पेश की है जिसके अनुसार ग्राम रूणीजा के खसरा नम्बर 529 रकबा 2.04 हैक्टयर भूमि महेन्द्र विक्रमसिह दत्तक पुत्र आनन्द कंवर हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार व हरिसिंह पुत्र नन्दसिंह हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वाद के पैरा संख्या 1 में दी गई वंशावली के अनुसार नन्दसिंह के दो पुत्र हरिसिंह व पृथ्वीसिंह थे हरिसिंह के किशन कंवर पत्नी व सवाईसिंह पुत्र वारिसान थे तथा पृथ्वीसिंह शेर सिंह गोद पुत्र था। हरिसिं वारिसान में पत्नि व पुत्र सवाई सिंह फौत हो चुके है सवाईसिंह के वारिसान पत्नी लाड कंवर जो फौत हो चुके है तथा पुत्र प्रतिवादी 1,2,3 व वादी वारिसान है। पृथ्वीसिंह के वारिसान में शेरसिंह गोद पुत्र व शेरसिंह की पत्नी आनन्द कंवर फौत हो चुके है जिसके कोई वारिसान नहीं होने से आनन्दकंवर ने अपने जीवनकला में वादी को गोद लिया था। वादी ने उप पंजीयक से रजिस्ट्र सुदा गोद नामें की प्रति पेश की है। उपरोक्तानुसार यह साबित होता है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिसकी पुष्टि जमाबन्दी से भी होती है। वादी के अनुसार स्व. सवाईसिंह व शेरसिंह ने अपने जीवनकाल में भूमि का बंटवारा करीब 50 वर्ष पूर्व कर लिया था जिसके अनुसार खसरा नम्बर 529 रकबा 2.04 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि स्व. शेरसिंह के हक हिस्से में आयी थी जिस पर शेरसिंह की जीवन पर्यन्त काश्त करते रहे लेकिन राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा ही दर्ज चला आया व 1/2 हिस्से का इन्द्राज हरिसिंह के नाम का इन्द्राज था। लेकिन हरिसिंह के पुत्र सवाईसिंह व शेरसिंह के बीच वर्षो पूर्व हुऐ बंटवारे के अनुसार विवादित सम्पूर्ण भूमि वादी के हक हिस्से की है। जिसको प्रतिवादीगण ने राजरीनामा पेश कर स्वीकार किया है। सजरा खानदान एवं प्रस्तुत रिकार्ड से साबित होता है।

अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम रूणीजा के खसरा नम्बर 529 रकबा 2.04 हैक्टयर भूमि दर्ज 1/2 हिस्सा हरिसिंह पुत्र नन्दसिंह का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

डिक्री मुकदमां इब्तहाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)

अदालतः– **उपखण्ड अधिकारी परबतसर, जिला (डीडवाना– कुचामन), राज.**

अज अदालत :– श्री गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस.

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
महेन्द्र विक्रमसिंह पुत्र सवाई सिंह		1. भवंर कंवर पुत्री सवाई सिंह
दत्तक पुत्र आनन्द कंवर पत्नी शेरसिंह		2. राजेन्द्रसिंह पुत्र सवाई सिंह
निवासी रूणीजा तह. परबतसर		3. नरेन्द्रसिंह पुत्र सवाई सिंह
		जाति राजपूत निवासी रूणिजा

दावा बाबत :– खोतादरी अधिकारो की घोषणा।

मुकदमां नम्बर :– 2022/25 निर्णय दिनांक :– 14.05.2024

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री कल्याणसिंह अधिवक्ता, वादी व श्री ऋषि बोहरा अधिवक्ताप्रतिवादी 1 से 3 मिनजानिब मुदई रूबरू.....मिनजानिब मुदालह पेश होकर दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती हैं कि :–

ग्राम रूणीजा के खसरा नम्बर 529 रकबा 2.04 हैक्टयर भूमि दर्ज 1/2 हिस्सा हरिसिंह पुत्र नन्दसिंह का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.05.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी परबतसर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक			स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक		
मीलान			मीजान		